लय उपखण्ड मजिस्ट्रेट किशनगढ़बास (अलवर)

हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज

प्रा॰पत्र धारा 212 आर॰टी॰एक्ट॰
रहमुम खां बनाम पी॰डब्लु॰डी॰

25-2-19 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर॰टी॰एक्ट॰ वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील वादी ने दावे के साथ पेश किया। दावा व. प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एकपक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रा॰पत्र के संलग्न दस्तावेजात व शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्तिवाली क्षति भी प्रार्थी को ही है।

अत: अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 19-3-19 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि वो आ॰ ख॰ नं॰ 21/1644/0.4200 वाके ग्राम दौंगडा तहसील किशनगढ-बास में वादी/प्रार्थी के हिस्से की जद तक मौके पर कोई निर्माण कार्य न करें। तथा क्योंना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई करदी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करें। वकील प्रार्थी टी॰आई तलबाना पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 19-3-19 को पेश हो। सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
किशनगढ-बास (अलवर)

19-3-19 वकील प्रार्थी उप। अलावा अप्रार्थी उप। जवाब का मौका चाहते है। दि॰ 25-3-19 को पेश हो।

25-3-19 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष को सुना गया। मौके पर सीमा ज्ञान कराने के आदेश दिये जाकर प्रकरण का निस्तारण किया गया। निर्णय पृथक से शामिल किया गया। प्रा॰पत्र मैसल शुमार होकर संलग्न रेकार्ड रहे।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)

अध्यासित द्वारा :- श्री सुरेन्द्र प्रसाद आर.ए.एस.

प्रा.पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
14	25-2-19	25-3-19

उनवान

1- रहुम खाँ पुत्र नियाज जाति मेव निवासी दौंगड़ा तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर

:-प्रार्थी/वादी

बनाम

1- सार्वजनिक निर्माण विभाग कि.बास जरिये सहायक अभियन्ता किशनगढ़-बास जिला अलवर

:-अप्रार्थी/प्रति.

(दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट)
प्रा.पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति:-1- श्री खान एड. प्रार्थी की ओर से।
2- सहायक अभियन्ता स्वयं उपस्थित।

::निर्णय::

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैं:- प्रार्थी/वादी ने एक वाद हु.इ.दवामी पेशकर उसके साथ प्रा.पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट.पेश कर निवेदन किया कि आ.हे.नं. 21/1644/0.42000 वाके ग्राम दौंगड़ा तहसील किशनगढ़-बास वादी/प्रार्थी व सर.अप्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर वो काबिज काश्त हैं। प्रार्थी की उक्त आराजी के तरफ पश्चिम ख.नं. 1793 स्थित है जिस में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रार्थी के खसरा नम्बर की आराजी को दबा कर जबरन निर्माण करने पर आमादा है। जबकि प्रार्थी की आराजी को दबाने का उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

अत: प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो आ.हे.नं. 21/1644/0.4200 वाके ग्राम दोंगड़ा की आराजी को दबाते हुये जबरन नींव खोदकर निर्माण नहीं करें, मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर वकील प्रार्थी को एकपक्षीय सुना जाकर दिनांक 19-3-19 तक अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की गई कि प्रार्थी के हिस्से की जद तक मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं करें तथा क्यों ना यह आज्ञा तafैसला दावा स्थाई करदी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करें।

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

—2—

अप्रार्थी ने जबाब पेश किया कि प्रार्थी ने गलत प्रा. पत्र पेश किया है जो स्वीकार नहीं है ख. नं. 1793 में कोई निर्माण नहीं किया जा रहा है बल्कि हाल आ. ख. नं. 1792/20/0.5000 वाके दोगडा अल्पसंख्यक बालक छात्रावास के नाम से दर्ज है में ही निर्माण किया जाकर रहा है। ख. नं. 20/0.6800 में से 0.5000 रकबा आवंटित किया जाकर 1792/20/0.5000 पैमूद किया गया है। तहसीलदार पटवारी द्वारा पैमाईश कर निशांदेही कर मौके पर रकबा कसीद किया गया है उस पर हीं निर्माण किया जाकर रहा है जिस रकबे से प्रार्थी का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा जनहित कार्य को बाधित करने की लिए झूँठा प्रा. पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी उपस्थित उन्हें सुना गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौके पर पैमाईश कराई जाकर सीमा ज्ञान दोनों पक्षों की उपस्थिति में कराया जाकर यदि निर्माण किया जाता है तो प्रार्थी को कोई ऐतराज नहीं है। अप्रार्थी ने भी निवेदन किया कि पैमाईश कराई जाकर हमें जो रकबा आवंटित किया गया है उसका सीमा ज्ञान कराया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

पक्षकारान को सुनने के पश्चात् यह तथ्य उभर कर आया कि झगडा महज सीमा ज्ञान का ही है। इस झगडे के निस्तारण हेतु मौके पर सीमा ज्ञान कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश हैं कि पूर्व में जारी टी.आई आदेश दिनांक 25-2-19 अपास्त किया जाकर तहसीलदार किशनगढ-बास को आदेश दिये जाते हैं कि वो मौके पर आ. ख. नं. 21/1644/0.4200 एवं ख. नं. 1792/20/0.5000 वाके ग्राम दोगडा की पैमाईश दोनों पक्ष को सूचित करते हुये सीमा ज्ञान करावें। बाद सीमा ज्ञान निर्माणकार्य करें। पैमाईश/सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार कि. बास को अहकाम जारी हो। प्रा. पत्र फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
किशनगढ-बास {अलवर}

Scanned by CamScanner